हिमाचल प्रदेश

HIPA

जन–जन को
जागरूक बनाना है
'सूचना के अधिकार'
का उपयोग बढ़ाना है

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान

फेयरलांस, शिमला - 171012

'सूचना का अधिकार कानून 2005'

हर भारतीय नागरिक को सभी सरकारी कार्यालयों से उनके कार्यों सम्बन्धी कोई भी जानकारी लेने तथा रिकार्ड की नकल लेने व निरीक्षण करने और सैम्पल या नमूने लेने का अधिकार देता है। इस हेतु सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों में एक "लोक सूचना अधिकारी" की नियुक्ति की जानी अनिवार्य है।

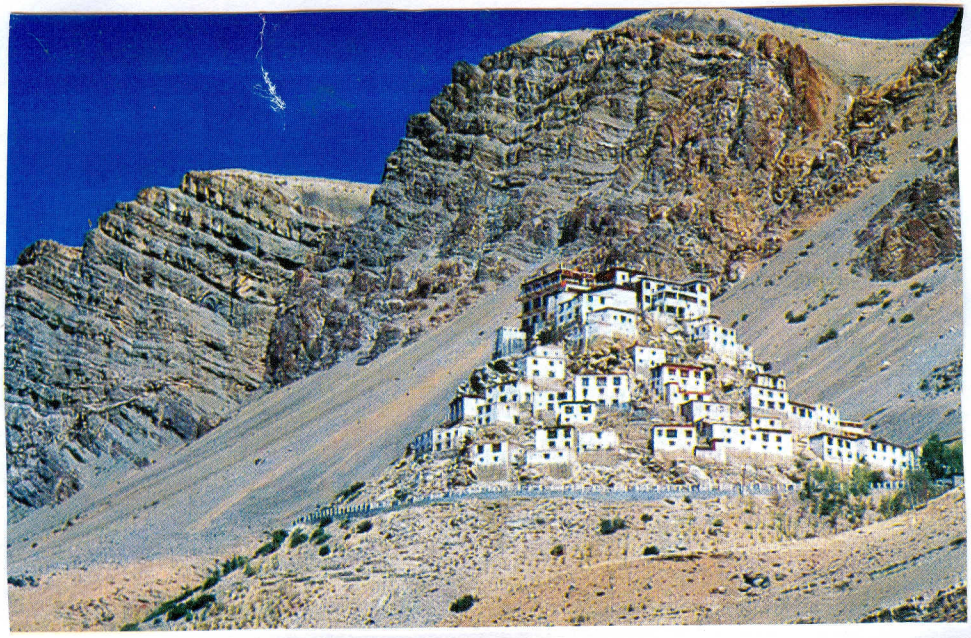

सूचना पाने के लिए आवेदन लिखित रूप में हिन्दी/अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में निर्धारित शुल्क के साथ लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाना चाहिए। यह स्पष्ट लिखना चाहिए कि क्या सूचना वांछित है। आवेदक को अपना नाम-पता-टेलीफोन नम्बर (यदि हो तो) देना आवश्यक है किन्तु यह बताना जरूरी नहीं कि सूचना क्यों मांगी गई है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार के आवेदक को सूचना के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता।

यह कानून भारत सरकार/प्रदेश सरकार के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, संस्थानों व संगठनों पर लागू होता है । राष्ट्रपति/ प्रधानमन्त्री / राज्यपाल / मुख्यमन्त्री कार्यालय, उच्चतम/उच्च न्यायालय, संसद सचिवालय/विधान सभा सचिवालय/लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, कमीशन और ट्रिब्यूनल जैसी उच्च संस्थाएं भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं है। सरकारी वित्तीय सहायता से चलने वाली सहकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं/परिषदों पर भी यह कानून लागू है।

यह कानून भारत सरकार/प्रदेश सरकार के सभी विभागों, निगमों, बोर्डों, संस्थानों व संगठनों पर लागू होता है । राष्ट्रपति/ प्रधानमन्त्री / राज्यपाल / मुख्यमन्त्री कार्यालय, उच्चतम/उच्च न्यायालय, संसद सचिवालय/विधान सभा सचिवालय/लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय, कमीशन और ट्रिब्यूनल जैसी उच्च संस्थाएं भी इस कानून के दायरे से बाहर नहीं है। सरकारी वित्तीय सहायता से चलने वाली सहकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं व नगर पालिकाओं/परिषदों पर भी यह कानून लागू है।

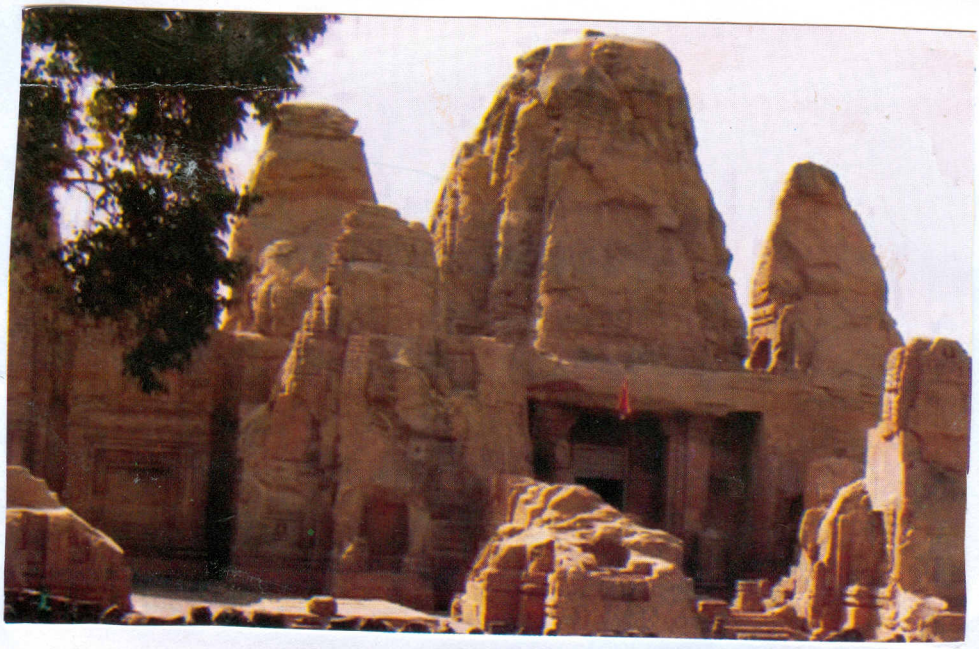

'लोक सूचना अधिकारी' के लिए मांगी गई सूचना/जानकारी निश्चित अवधि के भीतर (सामान्यतः 30 दिन) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी न देने/देरी से देने/गलत जानकारी देने/प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार करने पर उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है। हर विभाग द्वारा एक अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति करना भी अनिवार्य किया गया है।

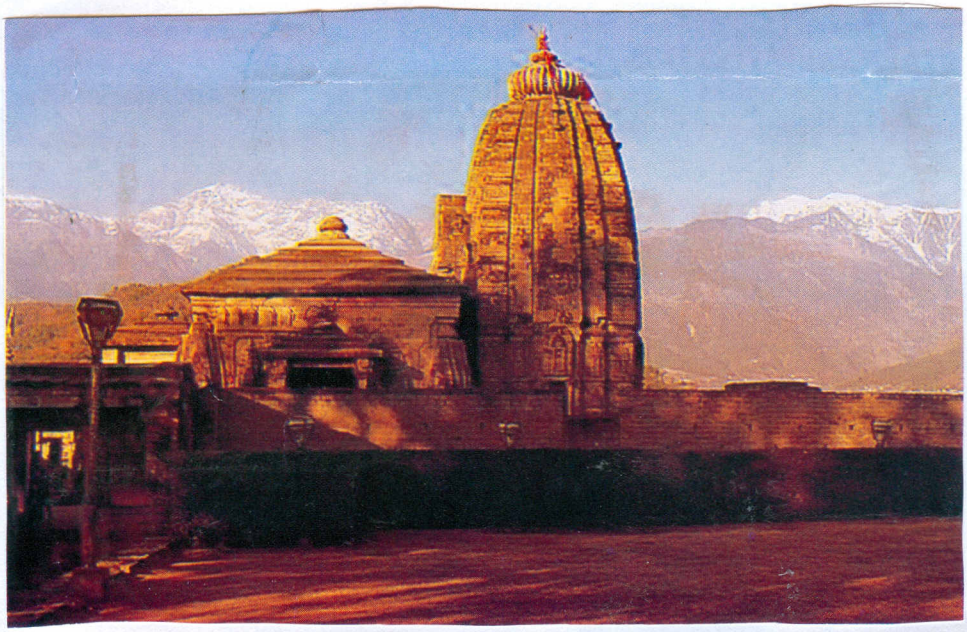

'सूचना का अधिकार कानून 2005' को लागू करने के लिए राष्ट्र स्तर पर व प्रत्येक राज्य में 'सूचना आयोग' की स्थापना की गई है। इस आयोग को सूचना के अधिकार को लागू करवाने व जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए व्यापक अधिकार दिये गए हैं जिनमें जानकारी देने में कोताही करने वाले सरकारी कर्मचारियों को दण्ड देने का भी अधिकार है। लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से सूचना न मिलने अथवा सन्तुष्टि न होने पर कोई भी व्यक्ति प्रदेश/राष्ट्रीय सूचना आयोग में जा सकता है।

कुछ संवेदनशील मामले जैसे देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखण्डता, न्यायालय की अवमानना, राष्ट्र के वैज्ञानिक या आर्थिक हितों अथवा विदेशी राष्ट्रों से सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका आदि होने पर 'लोक सूचना अधिकारी' कारण बता कर सूचना देने से मना कर सकता है किन्तु ऐसे आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है।